

आदेश व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 453/2024 (धारा 14 सिक्कोरिटाईजेशन)  
विलक्स हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, अग्रवाल कॉर्पोरेट टॉवर, प्लॉट नं. 23, पंचम तल, गोविन्द  
लाल सिक्का मार्ग, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. उन्नत सोनी पुत्र श्री विजय कुमार सोनी,
2. हैराब आर्ट्स,
3. हर्षिता सोनी पत्नी श्री उन्नत सोनी,
4. हर्षिता आर्ट्स ज्वैलरी,


पता:- 1565, जड़ियों का रास्ता, चौड़ा रास्ता, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and  
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security  
Interest Act, 2002

उपस्थित:-



श्री रवि कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

श्री भूप सिंह गुर्जर, अधिवक्ता केवियटकर्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।


आदेश

दिनांक 10.07.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 27.07.2021 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री उन्नत सोनी के स्वामित्व की संपत्ति म्यूनिसिपल मकान नं. 1565 का प्रथम तल, चौकड़ी विश्वेश्वरजी, जड़ियों का रास्ता, कामेश्वर मंदिर के सामने, जयपुर, क्षेत्रफल 131.08 वर्गगज को बंधक रखकर कुल राशि 51,75,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 13.09.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। केवियटकर्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भूपसिंह गुर्जर उपस्थित हैं। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का गलीभांति अवलोकन किया गया।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्थान ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 51,75,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक/हाईपोथिकेशन के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 62,62,030/-रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 13.09.2024 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को जवाब प्रेषित किया गया, जिसका निस्तारण प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा कर दिया गया है, तत्पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक/हाईपोथिकेटेड रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक/हाईपोथिकेटेड रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
5. अप्रार्थीगण द्वारा उठाई गई आपत्तियों के निस्तारण का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है।
6. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री उन्नत सोनी के स्वामित्व की बंधक संपत्ति म्यूनिसिपल मकान नं. 1565 का प्रथम तल, चौकड़ी विश्वेश्वरजी, जड़ियों का रास्ता, कामेश्वर मंदिर के सामने, जयपुर, क्षेत्रफल 131.08 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
8. आदेश आज दिनांक 10.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर